

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर

पत्र क्रमांक : प. 2(ओएण्ड एम)13/आ0कृ0/ 12037-158

दिनांक: 11/3/16

समस्त संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड  
समस्त उप निदेशक कृषि (वि0), जिला परिषद  
समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)

विषय:- विदेश भ्रमण पर जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने की अनिवार्यता।

उपरोक्त विषयान्तर्गत यह देखा गया है कि कतिपय कार्मिक बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त किये विदेश भ्रमण पर प्रस्थान कर जाते हैं। अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप स्वयं एवं आपके अधीनस्थ कार्यरत कार्मिक विदेश भ्रमण पर जाने के पूर्व अग्रिम रूप से प्रार्थनापत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त ही नियमानुसार आवश्यक अवकाश स्वीकृत कराकर विदेश भ्रमण पर प्रस्थान करें।

इन आदेशों का उल्लंघन के दोषी पाये जाने पर कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही आरम्भ की जावेगी। इन आदेशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।

(डा0 नीरज कुमार पवन)

आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, कृषि

पत्र क्रमांक : प. 2(ओएण्ड एम)13/आ0कृ0/ 12037-158  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 11/3/16

1. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार/आदान/अनुसंधान/एनएमओओपी/समन्वय)मु0।
2. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर को अपने अधीनस्थ कार्मिकों में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
3. निदेशक, समेती (आत्मा), दुर्गापुरा, जयपुर को अपने अधीनस्थ कार्मिकों में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
4. वित्तीय सलाहकार, कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि/उप निदेशक, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर।
7. ए0सी0पी0 कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर।
8. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।

(सोमेन्द्र शर्मा)  
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)